छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर

डब्ल्यू.पी.(227) 1032/2018

दिकेश साहू पिता श्री परमानंद साहू उम्र लगभग 49 वर्ष निवासी
दिकेश ऑटो सेंटर नागा, तहसील नगरी जिला
धमतरी छत्तीसगढ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगर, जिला धमतरी छत्तीसगढ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. पंकज कुमार ध्रुव पिता माधव सिंह ध्रुव उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम सिरसिदा, तहसील नगरी, जिला धमतरी छत्तीसगढ

3. लोमस प्रसाद साहू, पिता नोहरू राम साहू उम्र लगभग 41 वर्ष निवासी जंगलपारा, नगरी जिला धमतरी, छत्तीसगढ

.....उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए - श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र.01 के लिए- श्री आजाद सिददकी अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र.03 व 03 के लिए- श्री जे.के. शास्त्री अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र चंद्र सिंह सामन्त

बोर्ड पर आदेश

02.12.2019

1. यह याचिका विविध सिविल अपील क्रमांक 01/18 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एफ.टी.सी. धमतरी के न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2018 को पारित आदेश से व्यथित होकर लाई गई है, जिसमें याचिकाकर्ता/ वादी द्वारा धारा 151 सहपठित आदेश 39 नियम 1 और 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2018 को खारिज करने के आदेश के खिलाफ लाई गई अपील को खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि जनपद पंचायत नगरी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विवादित दुकान संख्या 47 उत्तरवादी क्र.02 को आवंटित की गई थी। उत्तरवादी क्र.02 ने दुकान उत्तरवादी क्र.03 को किराए पर दे दी थी और उसके बाद याचिकाकर्ता वर्ष 2003 से उसी दुकान में किराएदार बन गया है। याचिकाकर्ता ने उसी दुकान में डिकेश ऑटो सेंटर के नाम से अपना व्यवसाय स्थापित किया है और दुकान उनके आधिपत्य में है।

3. उत्तरवादी क्र.02 द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उत्तरवादी क्र.01 ने आवेदक के खिलाफ बेदखली का नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना यह है कि चूंकि वह वास्तव में वाद की दुकान पर काबिज है, इसलिए उसे दुकान से बेदखल करने कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कहा जा सकता है और उसे किसी भी तरह की जबरन बेदखली का सामना नहीं करना चाहिए , जैसा कि उत्तरवादी क्र .01 द्वारा दिए गए नोटिस में बताया गया है। इसलिए , अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत के लिए प्रार्थना की गई है।

4. उत्तरवादी क्र.01 के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उत्तरवादी क्र.02 को सूट की दुकान आवंटित की गई है और उत्तरवादी क्र .01 और 02 के बीच समझौता किया गया था। समझौतों की शर्तों के अनुसार उत्तरवादी क्र.02 द्वारा सूट की दुकान को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करना उत्तरवादी क्र .02 को आवंटन के लिए और साथ ही उक्त दुकान के कब्जे के लिए अयोग्य ठहराने की शर्त होंगी। उत्तरवादी क्र.02 ने 25.03.2017 को उत्तरवादी क्र.01 को एक शिकायत दी है जिसमें यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सूट की दुकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है , जहां से उसे बेदखल किया जाना चाहिए और कब्जा उत्तरवादी क्र.02 को सौंप दिया जाना चाहिए। उत्तरवादी क्र.01 ने तब याचिकाकर्ता को परिशीष्ट आर /1-3 के तहत नोटिस दिया है। यह व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास वाद की दुकान पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी क्र.02 और 03 के विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी क्र .01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाते है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं को सुना गया तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7. याचिकाकर्ता के इस दावे की कि वह वाद की संपत्ति पर वैध कब्जे में है , विचारण न्यायालय द्वारा जांच की गई। वाद की दुकान में याचिकाकर्ता का कब्जा निर्विवाद है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने किसी किरायेदारी समझौते के आधार पर संपत्ति का कब्जा किया है। ऐसा किरायेदारी समझौता जो वैध या अवैध हो सकता है, याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर पेश नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और अपीलीय न्यायालय का भी समान निष्कर्ष है।

8. वाद में ऐसे किसी अभिवचन का उल्लेख नहीं है कि उत्तरवादी क्र .03 ने याचिकाकर्ता को किसी किरायेदारी समझौते के लिए वाद शॉप का कब्जा सौंपा था और प्रतिवादी क्र.03 द्वारा ऐसा कोई स्वीकारोक्ति नहीं है कि सूट वाद याचिकाकर्ता को किराए पर दी गई थी। याचिकाकर्ता के वैध कब्जे के दावे का आधार ही गायब है क्योंकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई है और यह भी कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र.02 और 03 के बीच लिखित में कोई समझौता नहीं है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता और विवादित दुकान का कब्जा किसी वैध संवेदा या किसी हक पर आधारित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए , प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता एक अतिचारी प्रतीत होता है। स्थापित सिद्धांत के अनुसार, अतिचारी किसी भी प्रकार के संरक्षण का हकदार नहीं है। महादेव सावलाराम शेल्के और अन्य बनाम पुणे नगर निगम और (1995) 3 SCC 33 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि यह स्थापित कानून है कि अवैध कब्जे वाले व्यक्तियों के कहने पर असली मालिक के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। सी.पी.सी. एम.पी. संशोधन (1976) के अनुसार, कोई अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, जहां विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 38 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह एक ऐसा ही मामला है , इसलिए मैं इस याचिका में कोई सार नहीं पाता हूँ। इसलिए ,इसे मोशन के चरण में खारिज कर निराकृत किया जाता है।

9. तदनुसार, याचिका को निराकृत किया जाता है।

हस्ता/-

राजेन्द्र चंद्र सिंह सामन्त

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur